



कार्यालय – कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

ब्लॉक नंबर-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008

फोन – 0761-2702615

ई-मेल – mppgcl@mp.nic.in

फैक्स – 0761-2665805

वेब साईट – www.mppgcl.mp.gov.in

क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाँजकलि/सं.स.तीन/ 3341


जबलपुर, दि. 14 OCT 2021

आदेश

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के प्रावधानों को म.प्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में यथा आवश्यक संशोधनों सहित कंपनी कार्मिकों हेतु निम्नानुसार ग्राह्य किया जाता है:-

- म.प्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त कार्मिकों को प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
  - परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
  - तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रशिक्षण अवधि को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि का भाग माना जायेगा।
2. यह भी निर्णय लिया गया है कि, पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के परिपत्र क्रमांक 01-13/3422/19-20 दिनांक 01.07.2005 जिसे कंपनी द्वारा ग्राह्य किया गया है और जिसके अनुसार कार्मिक की परिवीक्षा अवधि के दौरान गोपनीय चरित्रावलि में न्यूनतम दो 'C' ग्रेडिंग होने पर परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है मान कर कार्मिक को नियमित किया जाता है, को संशोधित करते हुये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं नियमितकरण के लिये गोपनीय चरित्रावली में न्यूनतम दो 'C' ग्रेडिंग एवं एक ग्रेडिंग का अंकन 'C' ग्रेडिंग से उच्च आवश्यक होगा।
3. उक्त आदेश जारी किये जाने की तिथि से प्रभावशील होगा।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

  
मुख्य अभियंता

कार्या. कार्य. निदे. (मा.संसा. एवं प्रशा.)

म.प्र.पाँ.ज.क.लि., जबलपुर

प्रतिलिपि:-

क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाँजकलि/सं.स.तीन/ 3342

जबलपुर, दि. 14 OCT 2021

- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
- कार्यपालक निदेशक/ मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा.)/ (सिविल अभियांत्रिकी)/ (ईंधन प्रबंधन)/ (अभियांत्रिकी)/ (नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/ (संचा.संधा.-जल विद्युत)/ (सामग्री प्रबंधन)/ (सी.एस.)/ (परि.-उत्पा.), म.प्र.पाँ.जन.कं.लि., जबलपुर।
- मुख्य अभियंता (उत्पादन), संगंताविगृह/ अताविगृह/ संताविगृह/ श्री सिंगाजी ताविपरि., म.प्र.पाँ.जन.कं.लि., बिरसिंहपुर/ चचाई/ सारनी/ खण्डवा।
- मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), एम.पी.पाँ.मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर।

- 5- मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र. पूर्व क्षेत्र/ पश्चिम क्षेत्र/ मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/ पश्चिम/ भोपाल ।
- 6- मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ट्रांसमिशन कं.लि., जबलपुर ।
- 7- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार)/ (सिविल)-सर्वे.एवं अन्वे.-जल विद्युत संधारण वृत्त/ (टीएचसी), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर/ सिरमौर ।
- 8- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर ।
- 9- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर ।
- 10- संयुक्त सचिव I/ II/ IV, कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मा.संसा. एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
- 11- अधीक्षण अभियंता (संचा.संधा.), गांधीसागर/ पेंच/ राजघाट/ रानी अवंतीबाई सागर/ बाणसागर-दो/तीन/ चार/ मड़ीखेडा जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., गांधीसागर/ तोतलाडोह/ चंदेरी/ बरगीनगर/ शिवपुरी/ सिलपरा/ देवलौद/ झिन्ना ।
- 12- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्री सिंगाजी ताविपरि., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., खण्डवा ।
- 13- संयुक्त निदेशक (वि.एवं ले.)/ क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.) / संगंताविगृह/ अताविगृह/ सताविगृह/ श्री सिंगाजी ताविपरि./ टोंस जविगृह, म.प्र.पॉ.जन. कं.लि., जबलपुर/ बिरसिंहपुर/ चचाई/ सारनी/ खण्डवा/ सिरमौर ।
- 14- स्टाफ ऑफीसर/ निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक तकनीकी/वाणिज्य), म.प्र.पा.जन.कं.लि., जबलपुर ।
- 15- सहायक अभियंता (वेबसाइट प्रभारी आई.टी.), कार्या.- कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर – कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 16- स्थापना अनुभाग, कार्या.- कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।



संयुक्त सचिव – III

कार्या. कार्य. निदे. (मा.संसा. एवं प्रशा.)  
मं.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर